!!मुलवाद में संशोधित आदेश!!

<u>निर्णय न्यायालय उपखन्ड अधिकारी, छोटीसादडी जिला.प्रतापगढ राज0</u>

पीठासीन श्री दिनेशकुमार मन्डोवरा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी ,

प्रकरण संख्या– 36/2013 दिनांक– 11/10/17

उनवान–

राजस्थान सरकार , जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगए राज0
......वादी

::बनाम::

1–घीसालाल पिता भुवना जाति – मीणा निवासी– भाटखेडा. तह0 छोटीसादडी
2–हीरालाल पिता शंकरलाल जाति कुमावत निवासी– भाटखेडा तह0 छोटीसादडी
......प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 आर0टी0एक्ट</u>

–निर्णय–

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि –

1– यह कि मोजा भाटखेडा की साबिक आराजी नम्बर 1/2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा भुमि खातेदार श्री परथा पिता किशना मीणा निवासी– भाटखेडा के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो खातेदार अनुसुचित जन जाति की श्रेणी का सदस्य था। जिनकी नकल जमाबन्दी पेश की हैं।

2– यह कि मुल खातेदार परथा फोत होने से उक्त भुमि केशी बेवा परथा के नाम दर्ज हुई और पुनः जरिये इन्तकाल नम्बर 255 से उक्त भुमि घीसालाल पिता भुवाना मीणा के नाम पर दर्ज हुई।

3– यह कि खातेदार केशरबाइ उर्फ केशीबाई एवं घीसालाल के द्धारा दिनांक 01/02/1971 को जरिये रजि0 दस्तवेज से आराजी नम्बर 1/2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा में से 5 बीघा भुमि केता हिरालाल पिता शंकरलाल कुमावत निवासी भाटखेडा विपक्षी कमांकक 2 कोकिव्रय कर दी जो केता अनुसुचित जन जाति श्रेणी सदस्य होकर सामान्य जाति का हैं जो उक्त विकय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनिय 1955 कह धार 42 केविपरीत स्थानान्तरण हुआ हैं जो विधि विरूद्ध हैं।

4— यह कि दिनांक 01/02/1971 को विकय पत्र पंजीयन करा खातेदार उसके द्वारा धारा 42 के विपरित कार्य किया हैं और इसी अनुसार केता के पक्ष में नामान्तरण नही होकर उक्त भुमि विपक्षी कमांक 1 के नाम दर्ज रेकार्ड हैं।

5— यह कि तहसील क्षेत्र छोटीसादडी के नवीन भु—प्रबन्ध कार्यवाही सम्पादित होने से साबिक आराजी नम्बर 1/2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा भुमि नविन खसरा नम्बर 1 ,2 ,3 ,4 व 6 मिलान क्षेत्रफल अनुसार दर्ज हुए हैं।

6— यह कि नवनी खसरा नम्बर 1 से 4 एवं 6 श्री घीसालाल पिता भुवाना मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड हैं जो कुल किता 5 कुल रकबा 2.15 हैक्टर भुमि में से 5 बीघा अर्थात 1.08 हैक्टर का अवैध नामान्तरण होने से धारा 175 के तहत बिलानाम दर्ज कराई जाना न्यायोचित हैं।

प्रकारण दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये गये। दिनांक 29/09/2014 को विपक्षी कमांक 1 के द्वारा जवाब पेश कर निवेदन कि वाद की चरण संख्या 1 में अंकीत तथ्य सत्य हैं । आवेदन पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड एवं नामान्तरण से सम्बन्धित होकर प्रार्थी स्वयं प्रमाणित करें। आवेदन की चरण संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार हैं । तथा प्रतिवादी संख्या एक ने कोई विकय पत्र प्रतिवादी नम्बर 2 के पक्ष में तकमील व निष्पादित किया। तथा विपक्षी संख्या 1 ही उक्त भुमि पर काबिज हो काश्त कर रहा हैं। धारा 42 रा0का0अ0 के प्रावधानो का उल्लंघन नही हुआ हैं। वादपत्र की चरण संख्या 4,5,6 प्रार्थी स्वयं प्रमाणित करें। वादी द्वारा अपने वादपत्र पत्र की चरण संख्या 3 में विकय पत्र निष्पादन की दिनांक 01/02/1971 का अंकन किया हैं धारा 175 रा0टी0ए0 में आवेदन प्रस्तुती की मियाद दिनांक 05/10/1981 के संशोधन के अनुसार 30 वर्ष की अवधि में ही प्रस्तुत करने का आज्ञापक प्रावधान निर्धारित किया हैं। वाद पत्र दिनांक 01/10/2013 को प्रस्तुत हुआ जबकि विकय पत्र दिनांक 01/02/1971 को तकमील निष्पादन होने का कथन किया हैं इस प्रकार 42 वर्ष 8 माह बाद प्रस्तुत वादपत्र मयाद बाहर होन से निरस्त योग्य हैं। दिनांक 29/01/2014 को विपक्षी कमांक 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि घीसालाल ने प्रतिवादी को उक्त आराजीयात विकय की थी एवं विकय की दिनांक से पुर्व से ही प्रतिवादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं न्यायालय उक्त आराजीया को बिलानाम सरकार कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 2 का कोई एतराज नही हैं।

प्रकरण में वादपत्र एवं जवाब के आधार पर निम् तनकियात कायम की गई —

1— आया वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अंकीत आराजीयात प्रतिवादी संख्या एक ने प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के विकय की।

.....जिम्मे वादी

3– आया वाद पत्र में अंकीत आराजीयात का प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या दो विरुध राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 42 के विधि विरुद्ध है। .....जिम्मे वादी

3– आया वाद पत्र में चरण संख्या 3 में अंकीत आराजीयात वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज की जानी चाहीए। .....जिम्मे वादी

4– आया कि दादी का वादपत्र मयाद बाहर होने से निरस्त योग्य हैं। .....जिम्मे प्रतिवादी नम्बर 1

वादी की ओर से साक्ष्य वादी के रूप में राजेन्द्र प्रसाद तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा शपथपत्र में अंकीत तथ्यो को दोहराया व उक्त आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज करने का निवेदन किया । दिनांक 4/5/2016 को प्रतिवादी संख्या 2 हिरालाल पिता शंकरलाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया तथा बयान दिया कि मोजा भाटखेडा में आराजी नम्बर 1/2 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा स्थित होकर उक्त आराजीयात में से 5 बीघा आराजी मैने केशरबाई बेवा परथा व हीरालाल पिता भुवाना जी रावत निवासी– भाटखेडा से दिनांक 1/2/71 को रजि0 विकय पत्र से खरीद की एवं विकय के बाद से आज दिनांक तक मुझ प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा हैं एवं काबिज हो काश्त करता चला आ रहा हुँ एवं मेरे ही उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं तथा दोरान पेमाइश उक्त आराजीयात के नविन आराजी नम्बर 1 से 4 व 6 रकबा 2.15 हैक्टर बने जिसमें 1.08 हेक्टर पर मुझ प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा हैं तथा काबिज हो काश्त कर रहा हुँ एसी सुरत में उक्त आराजीया मैं अपने नाम राजस्व अभिलेख में अंकीत कराने का आधिकारी हुँ इस बाबत मुझ प्रार्थी ने घोषणा का एक वाद माननीय न्यायालय में पेश कर रखा हैं जो जेरेकार हैं। तथा बयान दिया किया कि वादी ने गलत वाद पेश किया हैं जो खारिज किया जावे इसके साथ ही मेरे घोषणा के वाद को सलंग्न किया जाकर आराजीयात खरिद सुदा को मेरे नाम राजस्व अभिलेख में अंकीत कराने का अधिकारी हुँ । प्रतिवादी कमांक 1 को अपनी साक्ष्य प्रतुत करने के कई अवसर प्रदान किये लेकिन विपक्ष कमांक 1 ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे दिनांक 14/3/2017 को विथकॉस्ट अन्तीम अवसर दिय गया। प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा 20/3/2017 को अनुपस्थित रहकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे विपक्षी की साक्ष्य बन्द की गई । प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई सर्व प्रथम तनकियात का निस्तारण किया जा रहा है—

तनकी संख्या –1

वादी ने अपने दस्तावेजो में पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 22/1/1971 का पेश किया उक्त दस्तावेज पंजीकृत हैं जिसमें विवादग्रस्त आराजीया में से 5 बीघा आराजी प्रतिवादी नम्बर 2 को विकय की हैं। प्रतिवादी कमांक 2 ने भी अपने जवाब में यह अंकीत किया हैं कि उक्त आराजीयात उसने कय की हैं। जबकि विपक्षी संख्या 1 ने एसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह प्रतित हो कि उसने उक्त आराजीयात का विकय नही किया हो पत्रावली में मौजुद विकय पत्र पंजीकृत हैं जिससे यह साबित होता हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त आराजी को

तनकी संख्या –2

विवादग्रस्त आराजीयात मोजा भाटखेडा में केशी पिता परथा तथा घीसालाल पिता भुवाना के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी जिसमें 5 बीघा आराजी केशी पिता परथा मीणा एवं घीसालाल पिता भुवाना मीणा ने प्रतिवादी कमांक 2 हिरालाल पिता शंकरलाल कुमावत निवासी– भाटखेडा के जरिये पंजीकृत विकय पत्र के विकय की थी । पत्रावली पर मोजुद दस्तावेजा का गहनता से अध्ययन करने से प्रतित होता हैं कि विकेता केशी पिता परथा एवं घीसालाल पिता भुवाना जाति से मीणा होकर अनुसुचित जन जाति की श्रेणी में आते हैं जबकि केता हिरालाल पिता शंकारलाल जाति से कुमावत होकर अन्य पिछडादर्ग की श्रेणी में आते हैं। उक्त पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 22/1/1971 रा0का0अ0 1955 की धारा 42 से बाधित हैं क्योकि खातेदार विकेता जाति से मीणा होकर अनुसुचित जन जाति की श्रेणी में आते हैं तथा वे अनुसुचित जन जाति के ही व्यक्ति को अपनी आराजीयात को विकय कर सकते हैं जबकि विकेतागण ने एसा नही कर के प्रतिवादी कमांक 2 जो कि जाति से कुमावत होकर अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में आता हैं को विकय की हैं । उक्त विकय विधि विरूद्ध होने से तथा तनकी संख्या वादी प्रमाणित होने से तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध तय की जाती हैं।

तनकी संख्या –3

विवाद ग्रस्त आराजीयात मोजा भाटखेडा में केशी पिता परथा तथा घीसालाल पिता भुवाना के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी जिसमें 5 बीघा आराजी केशी पिता परथा मीणा एवं घीसालाल पिता भुवाना मीणा प्रतिवादी कमांक 2 हिरालाल पिता शंकरलाल कुमावत निवासी– भाटखेडा को जारिये पंजीकृत विकय पत्र के विकय की थी । पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजो पर गहनता से अध्ययन करने से प्रतित होता हैं कि विकेता केशी पिता परथा एवं घीसालाल पिता भुवाना जाति से मीणा होकर अनुसुचित जान जाति की श्रेणी में आते हैं जबकि केता हिरालाल पिता शंकरलाल जाति से कुमावत होकर अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में आते हैं उक्त पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 22/1/71 रा0का0अ0 1955 की धारा 42 से बाधित हैं। विवाद ग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी कमांक 2 ने अपनी साक्ष्य में कब्जा साबित किया हैं तथा पंजीकृत विकय पत्र में भी प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को विकय कर कब्जा सिपुर्र कराया हैं । चुकि उक्त विकय पत्र विधि विरूद्ध हैं जिससे वाद ग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जाना उचित हैं। अतः तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती हैं।

तनकी संख्या–4

आया कि वादी का वाद पत्र मयाद बाहर होने से निरस्त योग्य हैं। चुँकि तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 पर था किन्तु प्रतिवादी कमांक 1 ने अपनी साक्ष्य में न्यायालय द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजुत साक्ष्य प्रस्तुत नही किये । तनकी संख्या 4 साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी कमांक 1 के विरूद्ध तय की जाती हैं।

–आदेश–

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में डिकी किया जाता हैं कि मोजा भाटखेडा पटवार हल्का गागरोल के नविन आराजी नम्बर 1 , आराजी नम्बर 2 एवं आराजी नम्बर 3 को बिलानाम सरकार घोषित किया जाता हैं। उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होवें एवं नक्शे में तरमीम होवें । इसी अनुसार डिकी पृथक से जारी की जाती हैं । पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 4/10/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0